न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 59/2020 अपील सू.प्र.

उनवान

सुशीला देवी, निवासी– ई–15 पलिस लाईन, भीलवाडा बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटडी, जिला भीलवाडा

––अपीलार्थी ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :–प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 30-09-2020

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटडी, जिला भीलवाडा के विरूद्ध दिनांक 08.09.2020 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल आर्डर सं. 48 एफ 373334 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 21.07.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटडी, जिला भीलवाडा को प्रस्तुत किया।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 21.09.2020 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटडी, जिला भीलवाडा द्वारा पत्रांक/सू0 अ0/2020/1395 दिनांक 29.09.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में उपखण्ड अधिकारी कोटडी, जिला भीलवाडा ने निम्न प्रकार रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं –

1. बिन्दू संख्या–1 में अपीलार्थी द्वारा चाही सूचना के संदर्भ में, वर्तमान में ऐसा कोई ज्ञापन उपलब्ध नहीं है। अतः प्रतिलिपि प्रदान किया जाना संभव नहीं है।
2. बिन्दू संख्या–2 में अपीलार्थी द्वारा चाही सूचना के संदर्भ में, थान पारोली क्षैत्र में अवेध बजरी खनन रोकने हेतु किसी प्रकार की टास्क फोर्स का गठन किया जाना इस कार्यालय के अभिलेख एवं जानकारी में नहीं है।
3. बिन्दू संख्या–3 में अपीलार्थी द्वारा चाही सूचना के संदर्भ में, बिन्दू संख्या–2 के अनुसार प्रत्युत्तर समझा जावें।
4. बिन्दू संख्या–4 में अपीलार्थी द्वारा चाही सूचना के संदर्भ में, बिन्दू संख्या–4 में वर्णित सूचना विस्तृत, विवेचनात्मक एवं प्रश्नात्मक होने से दिया जान संभव नहीं है।

5. बिन्दू संख्या–5 में अपीलार्थी द्वारा चाही सूचना के संदर्भ में, बिन्दू संख्या–5 में वर्णित सूचना विस्तृत, विवेचनात्मक एवं प्रश्नात्मक होने से दिया जान संभव नहीं है।
6. बिन्दू संख्या–6 में अपीलार्थी द्वारा चाही सूचना के संदर्भ में, बिन्दू संख्या–6 में वर्णित सूचना प्रश्नात्मक होने से दिया जान संभव नहीं है।
7. बिन्दू संख्या–7 में अपीलार्थी द्वारा चाही सूचना के संदर्भ में, बिन्दू संख्या–7 में वर्णित सूचना प्रश्नात्मक होने से दिया जान संभव नहीं है।
8. बिन्दू संख्या–8 में अपीलार्थी द्वारा चाही सूचना के संदर्भ में, बिन्दू संख्या–2 के अनुसार प्रत्युत्तर समझा जावें।

उक्त सूचना के संदर्भ में अपीलार्थी को पत्रांक/1395 दिनांक 29.09.2020 द्वारा जरिये डाक से भिजवायी गयी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचना प्रेषित कर दिए जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती हैं।

आदेश आज दिनांक 30-09-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

कार्यालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर भीलवाड़ा